पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1625/मा0संएवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक: 07 /06/2008

कार्यालय–ज्ञाप

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0– 3435–काविनी / राविप–29 दिनांक 06.10.1994 के अनुक्रम में कारपोरेशन में धुलाई भत्ता पाने वाले कारपोरेशन कर्मचारियों की सम्प्रति अनुमन्य धुलाई भत्ते की दर रू0 15 / – (पन्द्रह रूपये) मात्र प्रतिमाह को पुनरीक्षित कर इन आदेशों कें निर्गमन की तिथि से रू0 25 / –(पच्चीस रूपये) मात्र प्रतिमाह किये जाने का कारपोरेशन द्वारा सहर्ष निर्णय लिया है।

आवकाश की अवधि में धुलाई भत्ते की अनुमन्यता विषयक पूर्वादेश सं0–2177–के / राविप(ख)–119 / 59 दिनांक 29.04.1972 के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (मा0सं0)

सं0. / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्ननिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव–सचिव (ऊर्जा) / अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
4. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
7. उपमहाप्रबन्धक (वित्त / क0स0), पिटकुल, 7–बी, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल...।
9. प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,.......................................।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1626/मा0सं0एवं0प्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक: 07.06.2008

कार्यालय–ज्ञापन

पूर्ववर्ती आदेश सं0 1753–मा0सं0 / 41 अनु–ए / ए–6 दिनांक 11.09.2003 के अनुक्रम में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के पूर्णकालिक विकलांग कार्मिकों (विकलांगता की श्रेणी के अन्तर्गत दृष्टिहीनता भी सम्मिलित है) को पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वेतन स्लैब के समक्ष स्तम्भ–3 में अंकित दरों में 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुएं स्तम्भ–4 में अंकित दरों के अनुसार वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्ते की वर्तमान दर (रूपए प्रतिमाह)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर (रूपए प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	रू. 3050 से 5999 तक	200 / – (दो सौ)	280 / – (दो सौ अस्सी)
2	रू. 6000 से अधिक	250 / – (दो सौ पचास)	350 / – (तीन सौ पचास)

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (मानव संसाधन)

संख्या: 1626–मा0सं0एवंप्र0वि0 / पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, सचिव ऊर्जा / अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– निजी सचिव–अपर सचिव ऊर्जा,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4– निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5– अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6– समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
7– उपमहाप्रबन्धक (वित्त / क0स0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8– समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
9– प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10– समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11– कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

4. कारपोरेट मुख्यालय, देहरादून में कार्यरत पात्र कार्मिकों को उपर्युक्त स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति की प्रथम स्वीकृति तथा स्थानान्तरण की स्थिति में कारपोरेट मुख्यालय में तैनात होने पर उनके नियन्त्रक अधिकारी की संस्तुति के पश्चात निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा प्रशासनिक अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत की जाएगी।
5. नियन्त्रक अधिकारी स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता को सुनिश्चित करेंगे।
6. इस आदेश के संलग्नक प्रपत्र "अ" में इस व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र अधिकारी व कर्मचारी अपने नियन्त्रक अधिकारी को आवेदन करेंगे।
7. स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति संलग्न प्रपत्र "ब" में कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप अनुसार की जाएगी।
8. वेतन अवधि की समाप्ति पर अर्थात संगत माह, प्रत्येक पात्र अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र "स" पर अपना प्रतिपूर्ति बीजक (Bill) अपने नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा नियन्त्रक अधिकारी भुगतान हेतु वेतन भुगतान कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
9. उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के पश्चात सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को उनके तैनाती स्थान पर निगम कार्यहित में की गई यात्राओं के लिये अन्य कोई भत्ता अथवा भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।
10. इन आदेशों के अर्न्तगत देय यह प्रतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश की अवधि को छोड़ कर अन्य अवकाश की अवधि एंव निलम्बन काल में देय नहीं होगा।
11. पूर्णकालिक विकलांग कार्मिकों को वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ते की अनुमन्यता विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक 353–मा0सं0/41अनु.ए/ए–6 दिनांक 01.09.2003 (यथासंशोधित) द्वारा निर्गत आदेश यथावत प्रवृत्त रहेंगें।
12. उपर्युक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (मानव संसाधन)

संख्याः 1627–मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, सचिव ऊर्जा/अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– निजी सचिव–अपर सचिव ऊर्जा,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4– निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5– अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6– समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
7– उपमहाप्रबन्धक (वित्त/क0स0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8– समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
9– प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10– समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11– कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1627/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 07.06.2008

कार्यालय–ज्ञापन

पूर्ववर्ती आदेश सं0 2016–मा0सं0/41का.अनु.ए/ए–6 दिनांक 22.07.2004 के अनुक्रम में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के कारपोरेट मुख्यालय में कार्यरत ऐसे अर्ह एवं पात्र कार्मिकों को जिन्हें वर्तमान में स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य है को निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–3 में इंगित विद्यमान दरों में 40 प्रतिशत वृद्वि के फलस्वरूप स्तम्भ–4 में अंकित पुनरीक्षित दरों के अनुसार स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Lacal Travelling Expenses) अग्रलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रम सं0	स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति के पात्र अधिकारी/कर्मचारी का संवर्ग	कारपोरेट मुख्यालय पर अनुमन्यता रूपये प्रतिमाह	
		वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1	2	3	4
1	अधिशासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी निजी मोटरकार है।	800/–	1120/–
2	निजी स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी/अवर अभियन्ता	325/–	455/–
3	निगम के कारपोरेट मुख्यालय में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनकी अपनी निजी स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड है।	325/–	455/–

शर्तें व प्रतिबन्ध :–

1. स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को ही अनुमन्य होगी जिनके स्वयं के नाम से वह वाहन पंजीकृत हो जिसके वह पात्र है, परन्तु वाहन का पंजीकरण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी के संयुक्त नाम से न हो। प्रश्नगत वाहन का पंजीकरण उस निगमीय कार्मिक के एकल नाम से होना आवश्यक है जिसे निगम कार्यहित में निरन्तर स्थानीय यात्रायें करनी पड़ती हैं। स्वयं अथवा अपने व्यय पर रखे गये चालक के पास ड्राइविंग लाइसेन्स तथा वाहन का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है।
2. निगम द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को इन यात्राओं के लिये स्वतन्त्र निगमीय वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उपर्युक्त प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
3. स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को भी अनुमन्य होगी जिन्होंने वाहन को स्वयं चलाने क बजाय अपने व्यय पर चालक रखा (Engage)हो।

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave. Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1628/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 07.06.2008

कार्यालय–ज्ञापन

पूर्ववर्ती आदेश सं0 2016–मा0सं0/41का.अनु.ए/ए–6 दिनांक 22.07.2004 के अनुक्रम में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के जिला मुख्यालयों में कार्यरत ऐसे अर्ह एवं पात्र कार्मिकों को जिन्हें वर्तमान में स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य है को निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–3 में इंगित विद्यमान दरों में 40 प्रतिशत वृद्वि के फलस्वरूप स्तम्भ–4 में अंकित पुनरीक्षित दरों के अनुसार स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Lacal Travelling Expenses) अग्रलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रम सं0	स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति के पात्र अधिकारी/कर्मचारी का संवर्ग	जिला मुख्यालयों पर अनुमन्यता रूपये प्रतिमाह	
		वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1	2	3	4
1	अधिशासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी निजी मोटरकार है।	600/–	840/–
2	निजी स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी/अवर अभियन्ता	250/–	350/–

शर्तें व प्रतिबन्ध :–

1. स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को ही अनुमन्य होगी जिनके स्वयं के नाम से वह वाहन पंजीकृत हो जिसके वह पात्र है, परन्तु वाहन का पंजीकरण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पति/पत्नी के संयुक्त नाम से न हो। प्रश्नगत वाहन का पंजीकरण उस निगमीय कार्मिक के एकल नाम से होना आवश्यक है जिसे निगम कार्यहित में निरन्तर स्थानीय यात्रायें करनी पड़ती हैं। स्वयं अथवा अपने व्यय पर रखे गये चालक के पास ड्राइविंग लाइसेन्स तथा वाहन का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है।
2. निगम द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को इन यात्राओं के लिये स्वतन्त्र निगमीय वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उपर्युक्त प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
3. स्थानीय बर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को भी अनुमन्य होगी जिन्होंने वाहन को स्वयं चलाने क बजाय अपने व्यय पर चालक रखा (Engage)हो।
4. कारपोरेट मुख्यालय, देहरादून में कार्यरत पात्र कार्मिकों को उपर्युक्त स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति की प्रथम स्वीकृति तथा स्थानान्तरण की स्थिति में कारपोरेट मुख्यालय में तैनात होने पर उनके नियन्त्रक अधिकारी की संस्तुति के पश्चात निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा प्रशासनिक अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत की जाएगी।

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

प्रतिबन्धों के अधीन रू0 300/– (रू0 तीन सौ मात्र) प्रति माह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य होगा, परन्तु उन्हें द्विभाषी भत्ता अथवा कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता में से केवल एक ही भत्ता देय होगा।

उपर्युक्त कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता इन आदेशों के निर्गमन की तिथि से अनुमन्य होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (मानव संसाधन)

संख्या: 1629–मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, सचिव ऊर्जा/अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– निजी सचिव–अपर सचिव ऊर्जा,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4– निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5– अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6– समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
7– उपमहाप्रबन्धक (वित्त/क0स0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8– समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
9– प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10– समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11– कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. **Corporate Office:** 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1629/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 07.06.2008

कार्यालय ज्ञापन

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के ऐसे लिपिक वर्गीय सेवकों जिसमें आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव भी सम्मिलित हैं तथा सहायक लेखाकर, लेखा लिपिक तथा कार्यालय सहायक (श्रेणी–।।।) (उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान मुख्य अभियंता कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली– 1998 के प्रख्यापन के उपरान्त नियुक्त कार्यालय सहायक (श्रेणी–।।। को छोडकर), जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कम्प्यूटर को भी संचालित करते है एवं द्विभाषीय भत्ता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को रू0 200/– (रू0 दो सौ मात्र) प्रति माह की दर से नियन्त्रक अधिकारी के प्रमाणक पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य होगा उन्हें तथा उनके प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्प्यूटर पर कार्य करने के फलस्वरूप उनके सामान्य पद के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के सम्पादन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।

2. यदि किसी समय यह पाया गया कि कम्प्यूटर पर कार्य करने के फलस्वरूप सामान्य पद के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के वहन करने मे व्यवधान पड रहा है तो प्रोत्साहन भत्ता समाप्त कर दिया जायेगा।

3. प्रोत्साहन भत्ता तभी तक अनुमन्य होगा जब तक संबंधित कर्मचारी कम्प्यूटर पर कार्य करेंगे। संबंधित कर्मचारी जब कम्प्यूटर पर कार्य करना बंद कर देंगे तो प्रोत्साहन भत्ता भी स्वतः समाप्त हो जायेगा।

4. प्रोत्साहन भत्ता तभी अनुमन्य होगा जब प्रत्येक माह कम से कम सात दिन तथा सात दिन में कम से कम 35 (पैंतीस) घंटे का कार्य कम्प्यूटर पर किया जायेगा। जिस माह में कम्प्यूटर पर 07 दिन से कम कार्य किया जायेगा, उस माह प्रोत्साहन भत्ता देय नहीं होगा।

5. अवकाश की अवधि में प्रोत्साहन भत्ता देय नहीं होगा।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 की ऐसी इकाइयां जहां कम्प्यूटर उपलब्ध हैं वहां कार्यरत ऐसे अर्ह पदधारकों, जो द्विभाषी भत्ता की पात्रता रखते हैं एवं जिन्हें कारपोरेशन आदेश संख्या 4088–नि0 (मा0सं0)/उपाकालि/09 का0अनु0ए/बी–1 दिनांक 28.07.2005 में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अधीन द्विभाषी भत्ता अनुमन्य हैं, को उपर्युक्त उल्लिखित शर्तो एवं

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

D:\Computer-I\Policies- Cirs & Guidelines\P-3\P-3.doc

PERFORMA FOR SANCTION OF REIMBURSEMENT OF LOCAL TRAVELING EXPENSES IN ACCORDANCE WITH O.M. NO. 1632/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 दिनांक 07.06.2008

1- Name of Official :

2- Designation and place of Posting :

3- Scale of Pay :

4- Duties Assigned :

5- Full details for R.L.T.E. duties Required to be performed as per O.M. No. 1632/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 दिनांक 07.06.2008 :

6- No. & make of Private vehicle :
Registered in th name of the official

7- Registration No. :

(A certified copy of Vehicle Registration is enclosed herewith.)

Enclosure : As above.

Signature of official

Certified that above named Junior Engineer is performing the duties of revenue realization, operation and maintenance and no other conveyance allowance/R.L.T.E. is sanctioned to him/her. He/She is required to perform local official duties by his/her own conveyance according to O.M. No. 1632/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 दिनांक 07.06.2008, for within Corporation vehicle has not been used.

Signature & Designation of Forwarding Officer

Reimbursement of local traveling expenses sanctioned @ Rs.................................
(Rupees ....) for ....

Signature & Designation of Forwarding Authority

संख्याः 1632—मा0सं0एवंप्र0वि0 / पी—3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, सचिव ऊर्जा / अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2— निजी सचिव—अपर सचिव ऊर्जा,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3— निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4— निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5— अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6— समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
7— उपमहाप्रबन्धक (वित्त / क0स0), पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8— समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
9— प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10— समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11— कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7—बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून—248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

D:\Computer-1\Policies- Cirs & Guidelines\P-3\P-3 doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1632/मा0सं0एवं0प्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 07.06.2008

कार्यालय ज्ञापन

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के विभिन्न क्षेत्रों की इकाईयों में तैनात अवर अभियन्ता जो परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहे हैं तथा जिन्हें उक्त कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु अपने तैनाती क्षेत्र में निजी वाहन द्वारा कार्यहित में भ्रमण करना पड़ता है, को प्रत्येक माह अधिकतम रू0 1200/–(रू0 बारह सौ मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त प्रतिपूर्ति केवल उपर्युक्त कार्यों में प्रवृत्त उन्हीं सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को अनुमन्य होगी जिनके पास स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन है व जिसका उपयोग उक्त कार्यों में किया जाता है तथा उन्हें कारपोरेशन द्वारा विभागीय अथवा विभाग द्वारा अनुबन्धित वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. स्थानीय विभागीय यात्राओं (Local Official Journeys) हेतु प्रयुक्त निजी वाहन द्वारा किया गया व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि से कम नहीं होगा।
3. उपयुर्क्त के फलस्वरूप सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं को स्थानीय विभागीय यात्राओं हेतु अन्य किसी प्रकार का वाहन भत्ता अथवा कारपोरेशन के आदेश संख्या 2017–मा0सं0/41का.अनु.ए/ए–6, दिनांक 27.07.2004 द्वारा स्वीकृत "स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Local Travelling Expenses)" अनुमन्य नहीं होगा।

उपयुर्क्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगें। तथा 'वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता' अनुमन्यता सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध प्रवृत्त रहेंगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (मानव संसाधन)

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

D:\Computer-1\Policies- Cirs & Guidelines\P-3\P-3.doc

164

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 2577/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ पी–3 दिनांकः 27/10/2008

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा इस कार्यालय के आदेश सं0 1632/मा0सं0 एवं प्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 07.06.08 के तारतम्य में परि0 एवं अनु0 के कार्यो हेतु विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अवर अभियन्ताओं की समरूपता में परियोजना कार्यो हेतु विभिन्न क्षेत्रों में तैनात अवर अभियन्ताओं को भी निजी वाहन द्वारा कार्यहित में की गयी यात्राओं की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित आदेश में निहित प्रतिबन्धों के अधीन प्रत्येक माह अधिकतम रू0 1200/– की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता संलग्न प्रपत्र को भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिसे वह सत्यापितोपरान्त सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को भुगतान हेतु प्रेषित करेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शिफ्ट ड्यूटि (Shift Duty) परियोजना, कारपोरेट परि0 एवं अनु0 एवं कारपोरेट कार्यालयों से सम्बद्ध / तैनात अवर अभियन्ताओं के स्थानीय वर्हिगमन व्यय की प्रतिपूर्ति संगत आदेशों के अनुरूप की जायेगी, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नः प्रारूप पत्र।

27/X
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 2577/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, कांवली रोड़, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एंव अनु0), 1/1–केनाल रोड़, बल्लूपुर,, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त/क0सं0), पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460, 2766249

G:\JYOTI\P-3.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 30.01.2009

कार्यालय–ज्ञापन

निदेशक मण्डल की 19वीं बैठक में मद संख्या – 19.11 में लिए गये निर्णय तथा ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पृष्ठांकन संख्या 142 / 1(2) / 2009–05 / 107 / 2003 दिनांक 19.01.2009 बिन्दु–3 के माध्यम से निर्गत निदेशों के अनुपालन में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में सम्प्रति कार्यरत तालिका के स्तम्भ–2 में वर्णित श्रेणियों के नियमित एवं पूर्णकालिक गैर तकनीकी कार्मिकों को स्तम्भ–3 में इंगित दरों पर विशेष भत्ता दिनांक 24.01..2009 से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	विशेष भत्ते हेतु सेवकों की श्रेणी (मूल पद के वेतनमान के आधार पर)	विशेष भत्ते की दर (रू0 प्रतिमाह)
1	2	3
01	रू0 8550–13500 एवं उच्च वेतनमान वाले गैर अभियन्त्रण संवर्ग के पदधारक	रू0 450 / –
02	रू0 5300–8600 से रू0 6500–11000 तक के वेतनमान वाले गैर तकनीकी पदधारक	रू0 300 / –
03	रू0 4200–6400 एवं रू0 4500–7500 के वेतनमान वाले गैर तकनीकी पदधारक	रू0 150 / –
04	रू0 3050–4590 से 3500–5455 तक के वेतनमान वाले गैर तकनीकी पदधारक	रू0 75 / –

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– 124 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, सचिव ऊर्जा / अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3– निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4– अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कावंली रोड़, देहरादून।
6– समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल।
7– कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8– समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
9– प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10– समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11– कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

संख्या: ५० (1)/XXVII(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10 उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12 निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक, संख्या ५८/XXVii(7)स्वै0परि0क0/2009

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून:दिनॉक: 13फरवरी,2009

विषयः–स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:395/XXVii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों,जिन्होंने अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो, को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से4 के मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि निम्नानुसार निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क)जिन कर्मचारियों को 1 सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस राशि को दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय ।

(ख)दिनांक 31अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि को ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा ।

3–उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4601/16 –11 –79 –9 – 153–99 दिनांक 23 फरवरी,1980 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।उक्त शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सख्याः 39/XXVii(7)प0वि0भ0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉंक: 13फरवरी,2009

विषय:–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सख्या:692/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 11 फरवरी,2003 के द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में तैनात पूर्ण कालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन स्लैब के आधार पर पर्वतीय विकास भत्ता एवं शासनादेश सं0–1164/28–4–2000–2(4)/91 दिनांक 31 जून,2000 के द्वारा सीमान्त विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया था।

2–वेतन समिति 2008 के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या:395/XXVii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के क्रम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के सादृश्य अनुमन्य ग्रेड–पे के 10 प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा सम्प्रति सीमान्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता

159

समाप्त करने ,तथा उसके स्थान पर उक्तानुसार पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0स0	ग्रेड वेतन / वेतनमान (रू0)	पर्वतीय विकास भत्ते की संशोधित दर
1.	1300	150
2.	1400	150
3.	1650	165
4.	1800	180
5.	1900	190
6.	2000	200
7.	2400	240
8.	2800	280
9.	4200	420
10.	4600	460
11.	4800	480
12.	5400 या इससे अधिक	540

3–ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4–अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5–एक हजार मीटर से कम उँचाई वाले क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता देय नहीं होगा, यद्यपि एक हजार मीटर की उँचाई के मध्य पड़ने वाली घाटियों(भले ही इनकी उँचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्हीकरण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य होगा ।

6–ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया

गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के पर्वतीय विकास भत्ता सीमान्त भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 11 फरवरी,2003 इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएगें ।

7--यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

8--अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 39 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्याः 38 / XXvii(7)म0कि0 / 2009

154

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः–वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः132 / वि0अनु0–3 / 2001 दिनांक 18 दिसम्बर,2001 के द्वारा प्रदेश के नगरों / नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था, शासनादेश संख्याः 444 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 13 जून,2002 के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता एवं शासनादेश संख्याः 916 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 5 जून,2003 के द्वारा नैनीताल के शहरी क्षेत्र एवं पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में क्रमशः आयुक्त कुमायूँ मण्डल एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल के कार्यालय अर्थात मण्डलीय मुख्यालय स्थापित होने के फलस्वरूप इन नगरों को "बी–2" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

2–वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश संख्याः395 / XXvii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के कम में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों / अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड के समतुल्य अनुमन्य ग्रेड–पे के आधार पर "बी 2" श्रेणी हेतु ग्रेड–पे का 75 प्रतिशत, "सी" श्रेणी के अन्य नगरीय क्षेत्र एवं जिला मुख्यालयों को 50 प्रतिशत तथा

6155

समस्त "अवर्गीकृत क्षेत्रों" को 40 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0स0	ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी-2" देहरादून,पौड़ी एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, हरिद्वार,(शहरी क्षेत्र)काशीपुर, रूद्रपुर,हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की(शहरी) अल्मोड़ा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मसूरी, पिथौरागढ़, टिहरी,पौड़ी गढ़वाल(शहरी क्षेत्र) गोपेश्वर(चमोली) उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग।	"अवर्गीकृत श्रेणी" उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1.	1300	975	650	520
2.	1400	1050	525	560
3.	1650	1238	825	660
4.	1800	1350	900	720
5.	1900	1425	950	760
6.	2000	1500	1000	800
7.	2400	1800	1200	960
8.	2800	2100	1400	1120
9.	4200	3150	2100	1680
10.	4600	3450	2300	1840
11.	4800	3600	2200	1920
12.	5400	4050	2700	2160
13.	6600	4950	3300	2640
14.	7600	5700	3800	3040
15.	8700	6525	4350	3480
16.	8900	6675	4450	3560
17.	10,000	7500	5000	4000
18.	12,000	9000	6000	4800

(7) 156

3–ग्रेड वेतन का तात्पर्य पूर्व वेतनमान के संबंध में पुनरीक्षित पे–बैण्ड में अनुमन्य संबंधित ग्रेड वेतन से है।

4–अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं ।

5–ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है ।

6–संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं। अथवा अपनी निजी आवास में निवास करते हैं ।

7–ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0 टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी,2006 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:132 / वि0अनु0–3 / 2001 दिनांक:18 दिसम्बर,2001एवं संख्या:444 / वि0अनु0–3 / 2002 दिनांक 13 जून,2002 की उक्त दरों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

8–यह आदेश 1अप्रैल,2009 से लागू लागू होगें ।

9–अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त।

(8)

157

संख्याः 38 (1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0 सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- [illegible] /XXVII (7)/2009
देहरादून: दिनांक 1 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-395/दस-99-200/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा उसके बाद समय समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा संशोधित यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवक अब नये वेतनमान में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से अधिकृत होंगे:-

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड वेतन रु012000 तथा HAG व उससे ऊपर	वायुयान की बिजनेस क्लास अथवा रेल से एसी फर्स्ट क्लास/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जिक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु010000 तथा शासन के अपर सचिव जो ग्रेड वेतन रु0 8900 में कार्यरत हों	वायुयान की इकोनोमी क्लास अथवा रेल से एसी फर्स्ट क्लास/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जिक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु0 5400,6600,7600,8700 व 8900 (शासन के अपर सचिव को छोड़कर)	रेल का एसी टू टियर/प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600 व 4800	रेल का एसी थ्री टियर/प्रथम श्रेणी/एसी चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हों [illegible] श्रेणी [illegible] सरकारी सेवक [illegible] अधिकृत किया जा सकता है।

जो स्थान रेल से जुड़े हों [illegible] के [illegible] भी यात्रा की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराया अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट / उसकी प्रति / टिकट संख्या संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आनुषांगिक व्यय--

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड [illegible] के नियम 23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर [illegible] आनुषांगिक व्यय [illegible] प्रकार से अनुमन्य होगा-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरें प्रति किलोमीटर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG व उच्च	50 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200, 4600,4800,5400,6600 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	20पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रुपया 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(3) दैनिक भत्ता--

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड [illegible] के नियम [illegible] के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर [illegible] संशोधित दर लागू होगा--

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड वेतन रु08900, 10000,12000 तथा HAG +व उच्च	रु0 350	रु0 250	रु0 200
ग्रेड वेतन रु0 4800, 5400,6600,7600 व 8700	रु0 250	रु0 190	रु0 160
ग्रेड वेतन रु0 4800 से कम	रु0 150	रु0 100	रु0 80

उपरोक्त तालिका [illegible] ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी [illegible] होटल, अथवा राज्य के [illegible]

हेतु निम्न दरों से प्रतिपूर्ति की जा सकती है–

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	प्रतिपूर्ति दर
ग्रेड वेतन रू0 8900,10000,12000 तथा HAG+व उच्च	रू0 1000
ग्रेड वेतन रू0 5400,6600,7600 व 8700	रू0 750

यात्रा भत्ता देयक के साथ [illegible] संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु निम्नानुसार धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है–

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	होटल/गेस्ट हाउस में अवस्थान करने पर दैनिक भत्ता	स्वयं की व्यवस्था पर दैनिक भत्ता
ग्रेड वेतन रू0 12,000 तथा HAG+व उच्च	होटल/गेस्टहाउस के लिये रू05000/– प्रति दिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 कि.मी. तक की यात्रा हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0500/– प्रति दिन भोजन का बिल	रू0 700/–प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु ए.सी. टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 10000 व 8900	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 3000/–प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर 50 कि0मी0 तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 300/ प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 600/– प्रतिदिन,नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 5400, 6600, 7600, 8700	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 1600 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 200 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 450 प्रतिदिन,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 4800 से रू04200	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 [illegible] प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 150 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 350 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रू0 4200 से कम	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 300 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 100 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 200 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति

निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत के बराबर रखी जाएगी।

(4) सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता:

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून 1999 द्वारा निर्धारित पुरानी दरों पर [illegible] अनुमन्य होगा।

(5) स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधाएं:

(क) घरेलू सामान की ढुलाई:

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 42 (2)(i)(iii) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये पुनरीक्षित वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जाएगी:

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 7600,8700,8900,10000, 12000 तथा HAG व उससे	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक वैगन/एक डबल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600,4800,5400, 6600	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक वैगन/एक सिंगल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 2800	3000 किलोग्राम
ग्रेड वेतन रु0 2800 से कम	1500 किलोग्राम

स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू-भाग में रेल सेवाएं उपलब्ध भी नहीं हैं। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम की दर [illegible] अनुमन्य होगी।

(ख) स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई:

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत वाहन की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 6600,7600,8700,8900, 10000,12000 तथा HAG व उससे	एक मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर
ग्रेड वेतन रु0 6600 से कम	एक मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/साईकिल

(ग) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान.

वर्तमान में अनुमन्य दरों का निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है—

(अ) जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण की दशा में पैकिंग भत्ता की दर ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत।

(ब) एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की दशा में एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर ग्रेड वेतन के दो गुना के बराबर रखी जाती है। HAG एवं उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु इसकी दर रुपया रू0 24000.00 रखी जाती है।

(6) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या इसके पश्चात् प्रारम्भ हुयी हो परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(7) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

संख्या— 780/XXVII (7)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार, ओबेराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

(01)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या–411 /XXVII(7)/2010
देहरादून:दिनांक 06 जनवरी,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषय:– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 78/XXVII(7)/2009, दिनांक 1मार्च,2009 एवं तत्क्रम में जारी शुद्धि पत्र संख्या 100/XXVII(7)/2009, दिनांक 31मार्च,2009 द्वारा यात्रा–भत्ता की पूर्व दरों एवं व्यवस्थाओं को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त शासनादेश में यात्रा–भत्ते के संबंध में पूर्व में जो व्यवस्था/अनुमन्यता थी उनमें कमी कर दिये जाने तथा उसकी कतिपय व्यवस्थायें व्यवहारिक न होने के कारण विभिन्न स्रोतों से इनमें संशोधन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है इन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 1–3–2009 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(क) <u>यात्रा–भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी</u>

पूर्व में कार्यालय ज्ञाप संख्या सा–4–395/दस–99–800–99 दिनांक 11 जून,1999 में दिनांक 1.1.96 से प्रभावी वेतनमानों में रू0 16400 से 18300 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले अधिकारियों को रेल के वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि0मी0 से अधिक की यात्रा करने पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य था। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1 मार्च, 2009 द्वारा केवल रू0 10,000 ग्रेड वेतन पाने वाले अधिकारियों जिनका पुराना वेतनमान रू0 18400–22400 था तथा केवल शासन के अपर सचिव को जो रू0 8900 के ग्रेड वेतन(पुराना वेतनमान रू0 16400–20,000 के वेतनमान)में हो को वायुयान का इकानामिकल क्लास अथवा रैलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की गई है, अर्थात पूर्व में जो सुविधा पुराने वेतनमान रू0 16400–20,000 में कार्यरत अधिकारियों, जिनका नये वेतनमान में ग्रेड पे रू0 8900 है, उन्हें वह न प्राप्त होकर रेल का ए0सी0 टू टियर/प्रथम श्रेणी/ शताब्दी एक्सप्रेस के चेयरकार की अनुमन्यता की गयी है जोकि पूर्व की अनुमन्यता से कम है। अत: रू0 8900 ग्रेड वेतन के समस्त पद धारकों को पूर्व से अनुमन्य वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेलवे का ए0सी0 प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास की अनुमन्यता की निरन्तरता यथावत रहेगी।

(ख) दैनिक भत्ता–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरें जो शासनादेश दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा संशोधित की गई है उनमें वर्तमान समय में रू0 4800 तथा इससे कम ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु पूर्व में 3 श्रेणियां थी जिन्हें अब घटाकर एक कर दिया गया है, जिससे रू0 4600 ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए दैनिक भत्ते की दरों में अन्य जिला मुख्यालयों के लिए आंशिक रूप से तथा शेष समस्त क्षेत्रों के लिए कोई वृद्धि नहीं

की गई है। कतिपय पूर्व दरों में कोई वृद्धि न होने अथवा अत्यल्प वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी–

दैनिक भत्ते की दर

क्र0सं0	ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
1.	रू0 4600 तथा उससे कम ग्रेड वेतन	रू0 150	रू0 120	रू0 100

2) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये निर्णय के अनुसार दैनिक भत्ते के प्रयोजनार्थ प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु प्रथम दो श्रेणियों यथा रू0 12000 ग्रेड वेतन (अब संशोधन के फलस्वरूप एच0ए0 जी0 रू0 67000(3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)–79000) या उससे उच्च वेतनमान,ग्रेड वेतन रू0 10,000 तथा रू0 8900 के पद धारकों हेतु स्वयं की व्यवस्था पर यात्रा भत्ता में 50 कि0मी0 की यात्रा हेतु क्रमशः ए0सी0 तथा नान ए0सी0 टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था बड़े नगरों हेतु बहुत कम है। यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश के बाहर बड़े शहरों के लिए 50 कि0मी0 मात्र की टैक्सी की अनुमन्यता व्यवहारिक नहीं है। सामान्यतः पदधारक के ठहरने के स्थान ट्रैवल एजन्सी से 10–15 कि0मी0 की दूरी पर होते हैं तथा बिना कोई दूरी तय किये 10–15 कि0मी0 आने तथा जाने की दूरी के जोड़ने पर लगभग 20–30 कि0मी0 की यात्रा अतिरिक्त रूप से जुड़ जाती है और सरकारी कार्य हेतु मात्र 20–30 कि0मी0 की यात्रा शेष रहती है।

अतः अब दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कलकत्ता शहरों हेतु शहर के अन्दर टैक्सी पर वास्तविक रूप से व्यय की गई धनराशि की अनुमन्यता होगी। राज्य के बाहर उक्त शहरों से भिन्न शहरों हेतु टैक्सी का एक दिन का वास्तविक व्यय 80 कि0मी0 की सीमा में अनुमन्य होगा ।/

3) शासनादेश संख्या–78 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 1 मार्च, 2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव सचिव।

103

संख्या4-II (1)xxvii(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डे)

अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्या- 100 / xxvii(7) / 2009
देहरादून::दिनांक 31 मार्च,2009

शुद्धि–पत्र

शासनादेश संख्या–78 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5(क) के द्वितीय पैरा में टकण त्रुटि के कारण 30 पैसे प्रति कुंतल के बजाय 30 पैसे प्रति किलोग्राम अंकित हो गया था अतः प्रस्तर–5(क) को निम्नानुसार पढ़ा जाए।

"स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं प्रदेश के एक बड़े भू–भाग में रेल सेवायें उपलब्ध भी नहीं है । इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति कुंतल की दर से अनुमन्य होगा।"

शासनादेश संख्या–78 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 1 मार्च,2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।

<u>संख्याः (1)xxvii(7) / 2009 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(आर0सी0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक सं0: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/~~ई0एस0–7~~पी–3 दिनांक: 23/11/2010

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यालय ज्ञापन सं0 1629/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 07.06.2008 के अनुक्रम में एतदद्वारा कारपोरेशन में कार्यरत डाटा ऐन्ट्री आपरेटर/कार्यालय सहायक–तृतीय को द्विभाषीय भत्ता तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाता है।

उक्त ज्ञाप की अन्य सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1667 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ई0एस0–7 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस कार्यालय के ज्ञाप सं0 1629/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 07.06.2008 में निर्दिष्ट कार्मिकों के अतिरिक्त जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किया जा रहा को सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7 बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7 बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7 बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
8. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7 बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
10. कट फाईल/कार्यालय पंजिका।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

G-H-9 OM doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

107

पत्रांक : 881/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 29/06/2011

कार्यालय ज्ञाप

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से वेतन पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 317/मा0सं0एवुप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 21.03.2009 एवं शासनादेश सं0 430/ I(2) 2009-05-90 / TC/ 2008 दिनांक 19.03.2009, सपठित शासनादेश सं0 40/XXVII(7)/स्वै0प0क0/2009 दिनांक 13.02.2009 में यह व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों को 1 सितम्बर 2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस राशि को दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय। दिनांक 31.03.2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि को ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

उक्त शासनादेश सं0 40/XXVII(7)/स्वै0प0क0/2009 दिनांक 13.02.2009 में संशोधन विषयक शासनादेश सं0 736/ XXVII(7)/स्व0प0क0/2009 दिनांक 27-10-2010 के अनुरूप एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों को दिनांक 31.08.2008 तक पुराने वेतनमान में परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य हुआ है, उनके परिवार नियोजन भत्ते की दर अनुमन्यता के समय पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर उक्त भत्ता ज्ञापांक 317/मा0सं0एवुप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 21.03.2009 में विहित अनुदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 881/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3/तद् दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, पिटकुल, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
3. निदेशक(परि0एवंअनु0)/निदेशक (परियोजना) पिटकुल, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक(वित्त)(प्रभारी)/कम्पनी सचिव, पिटकुल।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
7. उपमुख्य लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
8. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
9. कटफाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 912 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक: 01 .07.2011

कार्यालय ज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश स0 203 / IV(1) / 55(एच.के.एम) / 03, दिनांक 15 मार्च,2010 में निहित आदेशों की अनुरूपता में कारपोरेशन द्वारा कुम्भ मेला में कार्यरत अपने कार्मिकों को जिनका पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे–रू 4200 / –तक है,को दिनांक 11 जनवरी,2010 से 30 अपैल, 2010 तक की अवधि में उनके मूल वेतन के 20 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रूपये 2500 / – की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए विशेष भत्ते के रूप में भुगतान किंए जाने की एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) विशेष भत्ता केवल उन्हीं कार्मिकों को दिया जायेगा जो मेला क्षेत्र में सीधे तैनात किए गये हैं और जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रदान किया गया हो कि सम्बन्धित कार्मिक सीधे कुम्भ मेला की ड्यूटी में तैनात है।

(2) प्रश्नगत विशेष भत्ता केवल उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य होगा जिन्हें नियमानुसार विशेष वेतन / यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है ।

(3) उपर्युक्त विशेष भत्ता केवल उन्हीं कार्मिको को देय होगा जो कारपोरेशन की नियमित सेवा में हैं और मेला कार्य से सीधे सम्बद्ध हैं। उन्हें उक्त क्रमांक (1) में इंगित सम्बन्धित महाप्रबन्धक के प्रमाण पत्र के आधार पर ही विशेष भत्ता ग्राह्य होगा।

2– उपर्युक्तानुसार जिन कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है,उन्हें कुम्भ मेला–2010 के अतिरिक्त कार्यभर के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का मानदेय अनुमन्य नही होगा ।

3– उपर्युक्त विशेष भत्ते के भुगतान में होन वाले अतिरिक्त व्यय भार का समायोजन कुम्भ मेला प्रशासन द्वारा कारपोरेशन को उपलब्ध कराई गई निधि से किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाप्रबन्धक का होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 912 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, सचिव (उर्जा), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन एवं अनुरक्षण) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (परि0 एंव अनु0) पिटकुल, गढ़वाल क्षेत्र, रूड़की।
5. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं (प्रभारी) क0स0, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
6. समस्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
8. समस्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ... ।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक 1684 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3. दिनांक 08/11/2011

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल निदेशक मण्डल की 24वीं बैठक में अनुमोदनोपरान्त उत्तराखण्ड शासन में यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में लागू शासनादेश संख्या–78/XXVII(7)/2009 देहरादून, दिनांक 01.03.2009 एवं आदेश संख्या–100/XXVII(7)/2009, दिनांक 31.03.2009 को पिटकुल में आदेश संख्या–1363/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 01.12.2009 द्वारा लागू कर दिया गया था। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त शासनादेशों के कम में संशोधित आदेश सं0 411/XXVII(7)/2010 देहरादून, दिनांक 06.01.2010 द्वारा लागू पुनरीक्षित यात्रा भत्ता दरों को तत्काल प्रभाव से पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत समस्त पूर्वकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू किये जाने हेतु अंगीकार करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

संलग्न – आदेश सं0 411/XXVII(7)/2010 देहरादून, दिनांक 06.01.2010

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1684 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (परि0एवंअनु0)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं क0 सचिव, पिटकुल, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..............................।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/उपमुख्य लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
6. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..................................।
8. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कार्य फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration Dept.

पत्रांक 1714 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-8/P-3 दिनांक : 15.11.2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 19.08.2011 को आहूत 32वीं बैठक (बिन्दु संख्या–32.16) में लिये गये निर्णय के अनुपालनार्थ निम्न आदेश पारित किये जाते हैंः–

1. सरकारी विभागों/उपक्रमों से पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड की सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों के लिए उनके पूर्ववर्ती विभाग में कार्यमुक्त होने की तिथि को आहरित वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) (भविष्य निधि सम्बन्धी परिलाभ) को संरक्षित किये जाने का प्राविधान किया जाता है। पूर्ववर्ती विभाग में आहरित किये जा रहे भत्तों को संरक्षित नहीं किया जायेगा।
2. वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले संबंधित कार्मिकों को पूर्ववर्ती विभाग में कार्यमुक्ति की तिथि को आहरित वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) एवं कारपोरेशन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को देय वेतन (मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता) के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा इस प्रकार से देय वैयक्तिक वेतन उनके भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं अवकाश वेतन की गणना के लिए भी मान्य होगा।
3. उक्त प्राविधान कारपोरेशन में दिनांक 09.09.2011 से लागू होंगे तथा इस तिथि से पूर्व कारपोरेशन की सेवा में आये कार्मिकों के प्रकरण पुनरोद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

संख्या– 1714 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-8 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, पिटकुल एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, वसंत विहार एनक्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (परि0 एवं अनु0)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.............................. ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, वसन्त विहार एनक्लेव, देहरादून।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल................................ ।
8. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 08/12/2011

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 22.11.2011 को आहूत 33वीं बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में एतद्द्वारा कारपोरेशन के ज्ञाप सं0–1630/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 07.06.2008 द्वारा विभिन्न उपकेन्द्रों पर रात्रि पाली में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य पाली भत्ता दरों को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	रात्रि पाली भत्ते की वर्तमान दरें
1	सहायक अभियन्ता	रू0 1300.00 प्रतिमाह
2	अवर अभियन्ता	रू0 750.00 प्रतिमाह
3	तक्नीशियन/यांत्रिक कर्मचारी वर्ग	रू0 450.00 प्रतिमाह
4	हैल्पर, मेट तथा समकक्ष कर्मचारी वर्ग	रू0 300.00 प्रतिमाह

सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संशोधित दर पर पाली भत्ता उसी अवस्था में देय होगा, जबकि वे माह में निर्धारित 08 ड्यूटियां देंगें। सम्बन्धित कार्मिकों की अनुपस्थिति की दशा में उक्त भत्ते में से निम्नलिखित दरों से कटौती की जायेगी, एवं जो कार्मिक अपनी डयूटी के अतिरिक्त उपरोक्त अनुपस्थित कार्मिक के स्थान पर डयूटी करेंगे, उसे निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त पाली भत्ता देय होगाः–

क्र0 सं0	पदनाम	रात्रि पाली भत्ते की वर्तमान दरें
1	सहायक अभियन्ता	रू0 175.00 प्रतिपाली
2	अवर अभियन्ता	रू0 100.00 प्रतिपाली
3	तक्नीशियन/यांत्रिक कर्मचारी वर्ग	रू0 60.00 प्रतिपाली
4	हैल्पर, मेट तथा समकक्ष कर्मचारी वर्ग	रू0 40.00 प्रतिपाली

उपरोक्त आदेश दिनांक 01.12.2011 से प्रवृत्त होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 1861 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी लेन–1 वसन्त विहार एन्कलेव देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना)/(परि0एवंअनु0), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक/समस्त उपमहाप्रबन्धक पिटकुल.................................।
4. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी लेन–1 वसन्त विहार एन्कलेव देहरादून।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता पिटकुल ....।
6. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 2236/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 30/12/2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मियों को कारपोरेशन ज्ञाप संख्या–18–नि0(मा0सं0)/41अनु.ए./ए–6 दिनांक 03.01.2005 द्वारा अनुमन्य नियत मासिक धनराशि को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर रू0 1200.00 (रूपये बारह सौ मात्र) तक प्रतिमाह करने की अनुमति माह दिसम्बर 2011 से प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक: 2236 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तददिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी लेन–1 वसन्त विहार एन्कलेव देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना)/(परि0एवंअनु0), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक/समस्त उपमहाप्रबन्धक पिटकुल.................................. ।
4. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी लेन–1 वसन्त विहार एन्कलेव देहरादून।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता पिटकुल .... ।
6. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. **Corporate Office:** 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1396/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0-3 दिनांक: 28/07/2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी के कपड़े एवं सिलाई की दरों में वृद्धि होने के कारण पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 3-डब्लू0सी0/राविप(औस-19)/87-474 एच/75 दिनांक 14.03.1987 एवं आदेश सं0 1978-डब्लू0सी/राविप(औस-19) /92-13एम /86 (डब्लू0) दिनांक 18.06.1992 के द्वारा निर्धारित ऊनी वर्दी के एक सैट की सिलाई सहित मूल्य रू0 450.00 से बढाकर अधिकतम रू0 900.00 (रू0 नौ सौ मात्र) निर्धारित किया जाता है एवं परिषदादेश सं0 5319-डब्लू.सी./राविप(औ.स.-19)/88-13एम/86 दिनांक 19.10.1988 तथा सपठित आदेश सं0 5660-डब्लू0सी0/राविप/(औस-उन्नीस)/88-13एम/86 दिनांक 17.12.1988 द्वारा निर्धारित ग्रीष्मकालीन वर्दी के एक सैट का सिलाई सहित मूल्य रू0 250.00 से बढाकर रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ रूपये) मात्र निर्धारित किया जाता है ।

उक्त कार्यालय ज्ञापों की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1396/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3/तद् दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परि0एवंअनु0)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, 7बी-लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-II), पिटकुल.......................... ।.
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल...................................... ।
6. कम्पनी सचिव एवं उपमहाप्रबन्धक (विधि), पिटकुल, 7बी-लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी-लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.................................... ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकूल देहरादून को कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करवानें हेतु प्रेषित।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल ।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0स0)

E:\Backup\D Drive\New Computer-1\Policies & Guidelines\P-3\P-3 OM.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration Deptt.

पत्रांक: 2156 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0–3 दिनांक: 21 .12.2012

कार्यालय ज्ञापन

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश संख्या–1285/I/2012-05-90/TC/2008 दिनांक 18.12.2012 द्वारा ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों के पूर्णकालिक कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के उपरान्त पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के अधिकतम स्तर का 2% (दो प्रतिशत) चिकित्सा भत्ता दिनांक 18.12.2012 से अनुमन्य किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड के अधिकतम स्तर का 2 प्रतिशत
1	रू0 5,200–20,200 वेतन बैण्ड–1	रू0 404.00
2	रू0 9,300–34,800 वेतन बैण्ड–2	रू0 696.00
3	रू0 15,600–39,100 वेतन बैण्ड–3	रू0 782.00
4	रू0 37,400–67,000 वेतन बैण्ड–4	रू0 1,340.00
5	रू0 67,000 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) रू0 79,000 रू0 69,010 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) रू0 79,000	रू0 1,580.00
6	रू0 75,000 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) रू0 80,000	रू0 1,600.00

पिटकुल के समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों को चिकित्सा भत्ता तदानुसार देय होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 2156 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0–3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना/परि0एवंअनु0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेशित कि कृपया विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार इन्कलेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,.. ।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460 2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration Deptt.

पत्रांकः 529 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0–3 दिनांकः 04.04.2013

कार्यालय ज्ञापन

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप संशोधित वेतनमान अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड शासन के वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/XXVII (7)/2009 दिनांक 01.03.2009 तथा आदेश संख्या–100/XVII (7)/2009 दिनांक 31.03.2009 एवं संख्या 411/XXVII (7)/2010 दिनांक 08.01.2010 के द्वारा यात्रा भत्ते की दरों को पुनरीक्षित किया गया था। कारपोरेशन के ज्ञाप सं0–1363/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3दिनांक 02.12.2009 एवं आदेश सं0 1684/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 08.11.2011 द्वारा शासन के उपरोक्त आदेशों को अंगीकार किया गया था। तदोपरान्त कार्मिकों को राज्य के अन्दर विभागीय कार्य हेतु की गई यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति में कुछ कठिनाइयॉ अनुभव की जा रही थी।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर दिनांक 31.01.2013 को हुई वार्ता के कार्यवृत्त के अनुसार ऊर्जा निगमों को अपने स्तर से उचित कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया था जिसके अनुक्रम में पिटकुल के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.03.2013 को सम्पन्न 40वीं बैठक में राज्य के अन्दर की जाने वाली विभागीय यात्राओं के दौरान होटल/अन्य संस्थान में ठहरने की स्थिति में प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता हेतु प्रस्ताव रखा गया था जिसे निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया है। निदेशक मण्डल द्वारा पारित उपरोक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में एतद्द्वारा कारपोरेशन में कार्यरत कार्मिकों को उत्तराखण्ड प्रदेश के अन्दर विभागीय यात्रा के दौरान होटल/अन्य संस्थान में ठहरने हेतु निम्नवत् दरों पर प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता प्रदान की जाती है :–

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
रू0 8900, 10000, 12000 तथा HAG+ व उच्च	रू0 1000	रू0 750	रू0 500
रू0 5400, 6600, 7600 व 8700	रू0 750	रू0 500	रू0 400
रू0 4200 से 4800	रू0 500	रू0 400	रू0 300
रू0 4200 से कम	रू0 400	रू0 300	रू0 200

शासनादेश संख्या–78/XXVII (7)/2009 दिनांक 01.03.2009 तथा आदेश संख्या–100/XVII (7)/2009 दिनांक 31.03.2009 के अन्य प्राविधान एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 529 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0–3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना/परि0एवंअनु0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/ उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता पिटकुल.......................
5. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration Section

पत्रांकः 962 /मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 14 .06.2013

कार्यालय ज्ञापन

एतदद्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 से दिनांक 01.01.2006 से पूर्व एवं तदोपरान्त सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को चिकित्सा भत्ता सेवारत कार्मिकों की भांति दिनांक 18.12.2012 से निम्नवत् अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु	चिकित्सा भत्ते की धनराशि
1	रू0 5,200–20,200 वेतनबैंड –1	रू0 404.00
2	रू0 9,300–34,800 वेतनबैंड –2	रू0 696.00
3	रू0 15,600–39,100 वेतनबैंड –3	रू0 782.00
4	रू0 37,400–67,000 वेतनबैंड –4	रू0 1,340.00

क्र0 सं0	दिनांक 01.01.2006 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु	चिकित्सा भत्ते की धनराशि
1	रू0 5,200–20,200 वेतनबैंड –1	रू0 404.00
2	रू0 9,300–34,800 वेतनबैंड –2	रू0 696.00
3	रू0 15,600–39,100 वेतनबैंड –3	रू0 782.00
4	रू0 37,400–67,000 वेतनबैंड –4	रू0 1,340.00
5.	रू0 67,000–79,000	रू0 1,580.00
6.	रू0 69,010–79,000	रू0 1,580.00
7.	रू0 75000–80,000	रू0 1,600.00

प्रबन्ध निदेशक 14/6/13

पत्रांक : /मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी0–3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना) / (परि0एवंअनु0) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
5. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
7. कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration Deptt.

पत्रांक: 971 /मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी0–3 दिनांक: 15 / 06 / 2013

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.03.13 को आहुत 40वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं01015/I/2013-05/90/TC/2008 दिनांक 14.06.2013 द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुरूप कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1861 / मा0सं0 एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 08.12.2011, द्वारा विभिन्न उपकेन्द्रो पर रात्रि पाली में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य पाली भत्तों की दरों को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

क्रम सं0	पदनाम	रात्रि पाली भत्तें के संशोधित दरें
1.	सहायक अभियन्ता	रू0 2700.00 प्रतिमाह
2	अवर अभियन्ता	रू0 1575.00 प्रतिमाह
3	तकनीशियन / यांत्रिक कर्मचारी वर्ग	रू0 1170.00 प्रतिमाह
4	हैल्पर, मेट तथा समकक्ष कर्मचारी वर्ग	रू0 720.00 प्रतिमाह

सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त संशोधित दर पर पाली भत्ता उसी अवस्था में देय होगा, जबकि वह माह में 08 ड्यूटियां देंगे। सम्बन्धित कार्मिकों की अनुपस्थिति की दशा में उक्त भत्ते में से निम्नलिखित दरों से कटौती की जाएगी एवं जो कार्मिक अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त उपरोक्त अनुपस्थित कार्मिक के स्थान पर ड्यूटी करेंगे उन्हें निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त पाली भत्ता देय होगा :–

क्रम सं0	पदनाम	रात्रि पाली भत्तें की कटौती के दरें
1	सहायक अभियन्ता	रू0 335.00 प्रतिपाली
2	अवर अभियन्ता	रू0 195.00 प्रतिपाली
3	तकनीशियन / यांत्रिक कर्मचारी वर्ग	रू0 150.00 प्रतिपाली
4	हैल्पर, मेट तथा समकक्ष कर्मचारी वर्ग	रू0 90.00 प्रतिपाली

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 971 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना / परि0एवंअनु0) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल.............................।
5. उपमहाप्रबन्धक (विधि एवं कम्पनी सचिव), पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, परियोजना लेखा स्कन्ध, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
9. कार्यालय ज्ञापन पत्रिका / कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

E:\Backup\D Drive\New Computer-1\Policies- Cirs & Guidelines\P-3\P-3 OM.doc

81

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.	कारपोरेट आफिस CORPORATE OFFICE मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग Human Resource & Administration Deptt.

पत्रांक: 972 /मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी0–3 दिनांक: 15 / 06 / 2013

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.03.2013 को आहुत 40वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 1015/I/2013-05/90/TC/2008 दिनांक 14.06.2013 द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 1922–पी / रा0विप0–तीस / 88–38पी / 88 दिनांक 19.12.1988 से स्वीकृत स्थाई मासिक भत्ते की दरों को एतद्द्वारा निम्नवत् पुनरीक्षित किया जाता है :–

क्रम सं0	पदनाम	स्थाई मासिक भत्ते की वर्तमान दरें	स्थाई मासिक भत्ते की पुनरीक्षित दरें
1	2	3	4
1	आशुलिपिक, उपखण्डीय लिपिक	रू0 25.00	रू0 55.00
2	दफादार, चपरासी	रू0 15.00	रू0 35.00

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 972 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना / परि0एवंअनु0) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल............................।
5. उपमहाप्रबन्धक (विधि एवं कम्पनी सचिव), पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, परियोजना लेखा स्कन्ध, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,...।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका / कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

E:\Backup\D Drive\New Computer-1\Policies- Cirs & Guidelines\P-3\P-3 OM.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration Deptt.

पत्रांक: **973**/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0--3 दिनांक: 15/06/2013

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.03.2013 को आहूत 40वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 1015/I/2013-05/90/TC/2008 दिनांक 14.06.2013 में दी गयी स्वीकृति के परिपालन में कारपोरेशन के पूर्ववर्ती आदेश सं0 1626/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 07.06.2008 के अनुरूप **विकलांगता भत्ते** की दरों को एतद्द्वारा निम्नवत् पुनरीक्षित किया जाता है ।

क्रम सं0	पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर (मूल वेतन)	वाहन भत्तें की वर्तमान दर (रूपये प्रतिमाह)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर (रूपये प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	वेतनमान रू0 5200--20200 एवं रू0 9300–34800 (दिनांक 01.01.2006 से पूर्व रू0 3050 से रू0 5999 तक अपुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन स्तर)	रू0 280.00	रू0 350.00
2	वेतनमान रू0 15600–39100 एवं रू0 37400–67000 (दिनांक 01.01.2006 से पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान में रू0 6000 एवं अधिक वेतन स्तर)	रू0 350.00	रू0 440.00

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 973/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना/परि0एवंअनु0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल............................।
5. उपमहाप्रबन्धक (विधि एवं कम्पनी सचिव), पिटकुल, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, परियोजना लेखा स्कन्ध, विद्युत भवन, माजरा, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,...।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1750/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 26.10.2016

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.09.2016 को आहूत 55वीं बैठक के ऐजेण्डा सं0 55.23 में "परिचालकीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी (परिचालकीय एवं लिपिकीय संवर्ग) के ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्तमान में साइकिल भत्ता अनुमन्य है को साईकिल भत्ते के स्थान पर मोपेड/मोटरसाइकिल/स्कुटर भत्ता परिवर्तित कर अनुमन्य करने के सम्बन्ध में" प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के क्रम में निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया :–

"The agenda item was discussed in detail and thereafter the Board approved the proposal under the agenda item no. 55.23 was approved by passing the following resolution unanimously:

Resolved That consent of the Board be and is hereby accorded for payment of Moped/Motorcycle/scooter allowance of Rs. 350 (Rs Three Hundred Fifty) per month in place of cycle allowance to operating cadre (TG-II-Line)/ (TG-I-Line) and Class –IV employees of the corporation".

अतः निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुपालन में उपरोक्त व्यवस्था की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 1750 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना)/(परिचालन)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/(स्तर–2)/महाप्रबन्धक, पिटकुल...................... ।
4. उपमहाप्रबन्धक (विधि एवं क0स0), पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल................................ ।
6. श्री नीरज पाठक, अधीक्षण अभियन्ता एवं मीडिया प्रभारी, पिटकुल, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कारपोरेशन आदेश को निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल...................................... ।
9. कार्यालय ज्ञापन पंजिका।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

प्रबन्ध निदेशक कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2642006 फैक्स नं0 0135–2643460 email:- md.ptcul@rediffmail.com

PTCUL

दिनांकः 08 .08.2022

पत्रांकः 2326 /प्र0नि0/पिटकुल/ MD(om)

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल निदेशक मण्डल की दिनांक 22.07.2022 को सम्पन्न 80वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आईटम सं0 80.07 "शासन की भाँति पिटकुल में पति तथा पत्नी दोनों के एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में" के क्रम में निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया :–

"निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट में उल्लेखित सभी तथ्यों की समीक्षा करते हुए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। तत्पश्चात निदेशक मण्डल द्वारा उत्तराखण्ड शासन की भाँति पिटकुल में कार्यरत ऐसे पति/पत्नी जो एक ही स्टेशन पर तैनात हों व एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहें हों दोनों को नियमानुसार उनकी देयता की सीमा तक मकान किराये भत्ते की देय धनराशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति दिनांक 01.01.2022 से इस प्रतिबन्धाधीन प्रदान की गयी कि पति/पत्नी दोनों में से किसी को भी उसी स्टेशन में जहाँ वे कार्यरत हैं, शासकीय आवास आवंटित न हो व दोनों मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ण करते हो।"

उपरोक्त आदेश शासनादेश सं0 322(1)/XXVII(7)/50(69)/2015 दिनांक 28.12.2021 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

पत्रांक : /प्र0नि0/पिटकुल/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.......................।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

8/8/22

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1741 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक05.10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेषन के कार्यालय ज्ञाप सं0 2156/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 21.12.2012 द्वारा स्वीकृत चिकित्सा भत्ते की दर को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

क्र0सं0	दिनांक	भत्ते की प्रतिमाह दर
1	वेतन बैण्ड 5200–20200	रू0 570/–
2	वेतन बैण्ड 9300–34800	रू0 980/–
3	वेतन बैण्ड 15600–39100	रू0 1100/–
4	वेतन बैण्ड 37400–67000	रू0 1880/–
5	वेतन बैण्ड 67000–79000	रू0 2220/–
6	वेतन बैण्ड 75000	रू0 2240/–

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1751 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ... ।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1742 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 05.10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन ज्ञाप संख्या 1456/मा0सं0एवंप्र0अनु0 /पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 द्वारा कारपोरेशन में कार्यरत नियमित एवं पूर्णकालिक गैर तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों को अनुमन्य विशेष भत्ते को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए निम्नलिखित दरों पर दिनांक 01.08.2013 से अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	विशेष भत्ता की अनुमन्यता हेतु पात्र कार्मिक की श्रेणी (मूलपद के वेतनमान के आधार पर)	भत्ते की प्रतिमाह दर
1	2	3
1	ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं उच्चतर वेतनमान के पदधारक (अपुनरीक्षित)	रू0 1170/–
2	ग्रेड वेतन रू0 4200, रू0 4400 एवं रू0 4600 वेतनमान के पदधारक (अपुनरीक्षित)	रू0 780/–
3	ग्रेड वेतन रू0 2600 एवं रू0 3000 वेतनमान के पदधारक (अपुनरीक्षित)	रू0 400/–
4	ग्रेड वेतन रू0 2600 से कम के वेतनमान के पदधारक (अपुनरीक्षित)	रू0 200/–

कारपोरेशन आदेश सं0 1456/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1742/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

P.T.O.

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1743 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 5 .10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–531–वे0प्र0/राविप/98–3वे0प्र0/98 दिनांक 21.11.1998, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–05– वे0प्र0–30/ पाकालि/2002–17वे0प्र0(30)/2002 दिनांक 02–01–2003, उपाकालि के आदेश सं0 571/मा0सं0/41 अनु0'ए'/ए–6 दिनांक 26.02.2003 एवं कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1458/मा0सं0एवंप्र0अनु0/ पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 द्वारा कारपोरेशन में कार्यरत नियमित एवं पूर्णकालिक तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों को अनुमन्य आवश्यक सेवा भत्ते को एतदद्वारा संशोधित करते हुए निम्नलिखित दरों पर दिनांक 01.10.2021 से अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	अनुमन्यता हेतु कार्यरत कार्मिक की श्रेणी (संवर्ग के आधार पर)	आवश्यक सेवा भत्ते की प्रतिमाह दर
1	2	3
1	अभियन्ता संवर्ग में कार्यरत (ESA)	रू0 1170/–
2	अवर अभियन्ता संवर्ग में कार्यरत (Spl. Allowance)	रू0 780/–
3	यांत्रिक संवर्ग एवं टी0जी0–2(लाईन) में कार्यरत (Spl. Allowance)	रू0 400/–
4	तृतीय श्रेणी के परिचालकीय संवर्ग– (Spl. Allowance)	रू0 200/–
5	चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय संवर्ग– (Spl. Allowance)	रू0 200/–

उपरोक्त आदेशों में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

P.T.O.

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1744 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 1 .10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1454/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 द्वारा कारपोरेशन में तैनात ऐसे समस्त श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न आदेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार धुलाई भत्ता अनुमन्य है, को एतदद्वारा दिनांक 01.10.2021 से रू0 140.00 (रू0 एक सौ चालीस मात्र) प्रतिमाह संशोधित दर पर धुलाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

धुलाई भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

P.T.O

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1745 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 05.10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1453/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 द्वारा कारपोरेशन में तैनात ऐसे समस्त श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के विभिन्न आदेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार साईकिल भत्ता अनुमन्य है, को एतदद्वारा दिनांक 01.10.2021 से रू0 180.00 (रू0 एक सौ अस्सी मात्र) प्रतिमाह संशोधित दर पर साईकिल भत्ता अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है

साइकिल भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1745 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

P.T.O.

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1746 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 5.10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 1399 दिनांक 22.05.1979, परिषदादेश संख्या–12–काविनी/राविप–29/96–10काविनी/95 दिनांक 10.01.1996 एवं कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1459/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कारपोरेशन में कार्यरत पात्र अवर अभियन्ताओं को एतदद्वारा दिनांक 01.10.2021 से ए0एम0आई0ई0 वेतन निम्नवत् संशोधित दर पर अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	भत्ते का नाम	भत्ते की प्रतिमाह दर
1	2	3
1	ए0एम0आई0ई0 वेतन	रू0 190/–

आदेश संख्या–1399 दिनांक 22.05.1979, परिषदादेश संख्या 12 काविनी/राविप 29/96 10 काविनी/95 दिनांक 10.01.1996 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे ।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ... ।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

P.T.O.

PTCUL
पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाश नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1747 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल /   दिनांक : 05.10.2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 की निदेशक मण्डल की 76वीं बैठक दिनांक 23.09.2021 के एजेन्डा संख्या में पारित प्रस्ताव 76.09 के अनुसार पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में बाह्य एजेन्सी (उपनल एवं एस0एच0जी0) के माध्यम से संविदा पर कार्योजित आउटसोर्सिंग सभी तृतीय श्रेणी के परिचालकीय कार्मिकों–तकनीशियन ग्रेड–द्वितीय / एस0एस0ओ0 एवं परिचालकीय–चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों जो विद्युत उपसंस्थानों में रात्रि पाली (Shift) में कार्य कर रहे हैं तथा 'रात्रि–पाली (Shift) भत्ता' हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करते हैं, को "पाली (Shift)" भत्ता अनुमन्य करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	बह्य एजेन्सी (उपनल एवं एस0एच0जी0) के परिचालकीय कर्मचारियों की श्रेणी	रात्रि पाली भत्तों की प्रस्तावित दरें (रू0 प्रतिमाह)	अनुपस्थित की स्थिति में कटौती (रू0 प्रति पाली)
01	तृतीय श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	585 / –	रू0 75 / –
02	चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय कर्मचारी	360 / –	रू0 45 / –

* पाली (Shift) भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होंगे। कारपोरेशन में पाली भत्ता अनुमन्यता सम्बन्धी निर्गत आदेश में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रवृत्त होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1747 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल /   तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उपनल, गढी कैन्ट, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक :   / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल /   तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक–(परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर– I / II, / महाप्रबन्धक, पिटकुल.................................।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,.................................।
4. अधीक्षण अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को आदेश की प्रति इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,.................................।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

C:\Users\upel\Downloads\Allowance UPNL 05-10-2021 (1).doc

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक 1758/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांक :05.10.2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से कार्योजित आउटसोर्सिंग कार्मिकों को पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 की निदेशक मण्डल की 76वीं बैठक दिनांक 23.09.2021 के एजेन्डा संख्या 76.07 में पारित प्रस्ताव में ऊर्जा क्षेत्र में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों का कार्य विशेष प्रकृति का होने को दृष्टिगत रखते हुये उपनल कार्मिकों को "विशेष ऊर्जा भत्ता" निम्नवत् श्रेणीवार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृत के आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

क्र0सं0	कार्मिकों की श्रेणी	कुल विशेष ऊर्जा भत्ता प्रतिमाह
01	समूह 'ख'/उच्च कुशल	रू0 1000/–
02	समूह 'ग'/कुशल	रू0 800/–
03	समूह 'ग'/अर्द्ध कुशल	रू0 700/–
04	समूह 'घ'/अकुशल	रू0 600/–

विशेष ऊर्जा भत्ते पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अंशदान, सर्विस चार्ज एवं जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त होगा।

उक्त आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1758 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उपनल, गढी कैन्ट, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : 1758/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक–(परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II,/महाप्रबन्धक, पिटकुल...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,..।
4. अधीक्षण अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को आदेश की प्रति इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,...।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1749 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 5 .10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1897–पी/राविप–तीस–36पी/1988 दिनांक 16.12.1988 एवं कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1452/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 के द्वारा अनुमन्य विशेष वेतन की दरों को एतदद्वारा दिनांक 01.10.2021 से स्तम्भ–4 में अंकित संशोधित दरों के अनुसार अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	इकाई/कार्यालय	किसे अनुमन्य है	विशेष वेतन (दर प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	**(क)** परिकल्प, नियोजन, प्रणाली, मानिटरिंग, रेड्स, प्रशिक्षण, भंडार प्रबन्ध (स्टोर खंडों को छोड़कर), वाणिज्य, जॉच समिति, इन हाउस कन्सलटेंसी, ग्रामीण विद्युतीकरण, सेकेन्ड्री सिस्टम नियोजन,*सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता आदि (जिन्हें इस समय स्वीकृत है) एवं अनुरक्षण में कार्यरत अभियन्ता व अवर अभियन्तागण।	महाप्रबन्धक/मुख्य अभि0(स्तर–2)	रू0 1260/-
		उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभि0	रू0 950/-
		अधिशासी अभियन्ता	रू0 800/-
		सहायक अभियन्ता	रू0 630/-
	यह विशेष वेतन महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता जो परिचालन, अनुरक्षण एवं/अथवा परिकल्प पर कार्यरत हों, को अनुमन्य होगा।	अवर अभियन्ता	रू0 320/-
	* **नोट**– केवल स्वीकृत सम्बद्ध पदों के सापेक्ष तैनात कार्मिकों को ही यह वेतन देय होगा। अन्य किसी कारण से अथवा किसी अन्य स्थान पर सम्बद्ध अन्य कार्मिकों को यह वेतन देय नहीं होगा।		
	(ख) मुख्यालय में तैनात अभियन्ता अधिकारी, सदस्य (वित्त एवं लेखा) से सम्बद्ध वरिष्ठ लेखाधिकारी तथा अन्य कार्यालयों/इकाईयों में तैनात लेखाधिकारी	महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II)/अधिशासी निदेशक	रू0 1260/-
	(आदेश संख्या–1897 दिनांक 16.12.1988 के द्वारा अनुमन्य श्रेणियों हेतु)	महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक तथा उनसे सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता (जहां इस समय स्वीकृत हैं)	रू0 950/-
		अधिशासी अभियन्ता	रू0 800/-
		सहायक अभियन्ता (मुख्यालय)	रू0 630/-
		निदेशक वित्त से सम्बद्ध वरिष्ठ लेखाधिकारी	रू0 950/-
		वरिष्ठ लेखाधिकारी (जांच समिति)	रू0 630/-
		लेखाधिकारी (कन्सलटेंसी यूनिट)	रू0 320/-

	(ग) आई0टी0स्कन्ध (मुख्यालय में स्थित आई0टी0स्कन्ध/कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु ही अनुमन्य)	उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता वरिष्ठ प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/अधि0अभि0 सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता	रू0 950/- रू0 800/- रू0 630/- रू0 480/-
	(घ) टेस्ट-कमिशनिंग,माइक्रोवेब एवं टेलिकम्युनिकेशन, स्काडा कन्ट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेंटशन सिस्टम में कार्यरत अभियन्ता गण सहित एवं अवर अभियन्ता तथा टी0जी0-प्रथम/द्वितीय (जो पद निगम में स्वीकृत है उसी के आधार पर अनुमन्य होगा)	उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभि0 अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता { Instrument Mechanic Gr-I Telephone Tester Electrician/Fitter/ Mechanic Gr-II & III Fine Mechanic } (पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 के आदेश संख्या-918-P/SEB-XXX-54P/87 दिनांक 07-06-1989 द्वारा अनुमन्य श्रेणी हेतु)	रू0 1580/- रू0 1260/- रू0 950/- रू0 480/- रू0 160/-

उपरोक्त तालिका के 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में अनुमन्य विशेष वेतन में से एक समय में केवल एक ही विशेष वेतन देय होगा।

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1897-पी/राविप-तीस-36पी/1988 दिनांक 16.12.1988 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे ।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

P.T.O.

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1750 /मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक05.10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 971 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 15.06.2013 द्वारा विभिन्न उपकेन्द्रो पर रात्रि पाली में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य पाली भत्तों की दरों को एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

क्रम सं0	पदनाम	रात्रि पाली भत्तें के संशोधित दरें
1	सहायक अभियन्ता	रू0 3240.00 प्रतिमाह
2	अवर अभियन्ता	रू0 1890.00 प्रतिमाह
3	परिचालकीय कार्मिक	रू0 1410.00 प्रतिमाह
4	परिचालकीय कार्मिक चतुर्थ श्रेणी	रू0 870.00 प्रतिमाह

सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्त संशोधित दर पर पाली भत्ता उसी अवस्था में देय होगा, जबकि वह माह में 08 ड्यूटियाँ देंगे। सम्बन्धित कार्मिकों की अनुपस्थिति की दशा में उक्त भत्ते में से प्रतिपाली अनुपातिक दर से कटौती की जाएगी एवं जो कार्मिक अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त उपरोक्त अनुपस्थित कार्मिक के स्थान ड्यूटी करेंगे उन्हें प्रतिपाली अनुपातिक दर पर अतिरिक्त पाली भत्ता देय होगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1750/मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II) / महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 1751 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक : 05.10.2021

कार्यालय ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मण्डल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 972/ मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 15.06.2013 द्वारा स्वीकृत स्थाई मासिक भत्तें की दरों को एतद्द्वारा निम्नवत् पुनरीक्षित किया जाता है:–

क्र0सं0	पदनाम	स्थाई मासिक भत्ते की पुनरीक्षित दरें
1	2	3
1	आशुलिपिक, उपखण्डीय लिपिक	रू0 80.00
2	दफादार, चपरासी	रू0 50.00

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1751 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन) / (परियोजना) / (मा0सं0) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II) / महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. कट फाईल।

5/10/2021
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

.docx

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1753 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 5 .10.2021

कार्यालय–ज्ञाप

श्री इन्दु कुमार पाण्डे, मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अध्यक्षता में भत्तो को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में गठित कमेटी में बनी सहमति एवं निदेशक मंडल की दिनांक 23.09.2021 को आहूत 76वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1740/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 26.10.2016 द्वारा साईकिल भत्ते के स्थान पर मोपेड/मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ता परिवर्तित कर रू0 350.00 (तीन सौ पचास मात्र) के स्थान पर रू0 450.00 (चार सौ पचास मात्र) एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(दीपक रावत)आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मा0सं0)

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 1817 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक : 21 .10.2021

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन द्वारा निर्गत विशेष भत्ता (आदेश संख्या 1742 दिनांक 05.10.2021), आवश्यक सेवा भत्ता (आदेश संख्या 1743 दिनांक 05.10.2021), धुलाई भत्ता (आदेश संख्या 1744 दिनांक 05.10.2021), साईकिल भत्ता (आदेश संख्या 1745 दिनांक 05.10.2021), ए0एम0आई0ई0 वेतन (आदेश संख्या 1746 दिनांक 05.10.2021) एवं विशेष वेतन (आदेश संख्या 1749 दिनांक 05.10.2021) के द्वारा निर्गत विभिन्न भत्तों की अनुमन्यता की तिथि को आदेश के निर्गमन की तिथि (दिनांक 05.10.2021) पढ़ा जाय।

उपरोक्त आदेशों में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(दीपक रावत, आई0ए0एस0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1817/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ... ।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. कट फाईल।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

.docx

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1073/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक : 09.07.2025

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 21.06.2025 को सम्पन्न 101वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 101.20 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के आदेश संख्या 1455/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 27.08.2013 के द्वारा कारपोरेशन के पात्र/अर्ह कार्मिकों को देय "स्थानीय बर्हिगमन व्यय प्रतिपूर्ति" (Reimbursement of Local Travelling Expeness) एवं कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 1740/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा परिचालकीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी (परिचालकीय वर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग) के कर्मचारियों को देय मोपेड/मोटरसाईकिल/स्कूटर भत्ता की दरों को पूर्वविहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	पात्र अधिकारी/कर्मचारी संवर्ग	देहरादून मुख्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह	अन्य इकाई/कार्यालय पर अनुमन्य दर प्रतिमाह
1	अधिशासी अभियन्ता एवं उसके समकक्ष अन्य अधिकारी तथा उससे उच्च अधिकारी जिनकी अपनी मोटर कार है तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 3600/–	रू0 2700/–
2	निजी स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी तथा विभागीय वाहन आवंटित नहीं है एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से यात्रायें करते हैं।	रू0 2250/–	रू0 1725/–
3	अवर अभियन्ता (परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों/राजस्व वसूली/परीक्षण एवं पाली ड्यूटी में तैनात अवर अभियन्ता को छोड़कर) एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 1200/–	रू0 900/–
4	कारपोरेट मुख्यालय एवं निगम के अन्य कार्यालयों में तैनात तृतीय श्रेणी के कर्मचारी जिनके निजी स्कूटर/मोटर साईकिल एवं मोपेड हैं एवं जो कारपोरेशन कार्यहित में अपने निजी वाहन से स्थानीय यात्रायें करते हैं।	रू0 1200/–	रू0 900/–
5	कारपोरेशन के परिचालकीय वर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनको साईकिल भत्ते के स्थान पर मोपेड/मोटरसाईकिल/स्कूटर भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है।	रू0 525/–	रू0 525/–

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

क्रमशः........2/–

पत्रांकः 1073 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

~~1.– निजी सचिव,–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।~~

2. निजी सचिव / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा0सं0) / (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता / समकक्ष अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को पिटकुल की वैबसाईट में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

मुख्यालय एवं पंजीकृत कार्यालयः– विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून – 248002
दूरभाष संख्या 0135–2646000 फैक्स नं0 0135–2643460